न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 1958/2025

सरकार **बनाम** प्रशान्त आदि।

मु0अ0सं0– 48/2024

धारा–307,323,325,506 भा0दं0सं0

थाना–नूरपुर, जिला बिजनौर।

11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **अमन, प्रशान्त व शेखर** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–307/34,323/34,325/34,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक–11.11.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण **अमन, प्रशान्त व शेखर** के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–307/34,323/34,325/34,506 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। मुकदमा वादी/साक्षी के समन जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।

दिनॉक–11.11.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 1958/2025

सरकार **बनाम** प्रशान्त आदि।

मु0अ0सं0– 48/2024

धारा–307,323,325,506 भा0दं0सं0

थाना–नूरपुर, जिला बिजनौर।

आरोप

मैं **निजेन्द्र कुमार**, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, बिजनौर आप अभियुक्तगण **अमन, प्रशान्त व शेखर** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 15.02.2025 को समय शाम लगभग 8:00 बजे बहद स्थान सरभंग बाबा के रास्ते के पास, खजूरी जाने वाले रास्ते पर, थाना–नूरपुर, जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छयापूर्वक वादी मुकदमा विरेन्द्र के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट कर साधारण चोटें कारित की। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की **धारा 323 सपठित धारा 34** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– :– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण सामान्य आशय के अग्रसारण में स्वेच्छापूर्वक वादी मुकदमा विरेन्द्र पर तमंचे से फायर कर उसके दांये हाथ के अग्र भाग में फ्रैक्चर कारित कर गम्भीर चोंटे पहुंचाई। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की **धारा 325 सपठित 34 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान मे है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त समय, स्थान व दिनांक पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में ऐसे ज्ञान एवं ऐसी परिस्थितियों में वादी मुकदमा विरेन्द्र को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर प्राण घातक चोटें पहुॅचाईं। यदि आपके उक्त कृत्य से वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की **धारा 307 सपठित धारा 34** के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनॉक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर भयोपरत किया। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की **धारा 506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक–11.11.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक–11.11.2025

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

Digitally signed by NIJENDER KUMAR
Date: 2025.11.11 16:08:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court